


छावनी परिषद, वाराणसी
सार्वजनिक सूचना।

छावनी परिषद वाराणसी द्वारा आवंटित दुकान व एफ.आर.पी. गुमटी में व्यापार करने वाले सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी आवंटित दुकान के बाहर खाली भूमि पर अतिक्रमण न करें न ही कोई अनाधिकृत निर्माण करें तथा छावनी क्षेत्र में अस्थायी रूप से गुमटी, चार पहिया ठेला एवं दैनिक रूप से आसन बिछाकर व्यापार करने वाले दुकानदारों को भी सूचित किया जाता है कि खाली भूमि पर अतिक्रमण न करे न ही अनाधिकृत निर्माण करे अन्यथा ऐसे किसी अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण को उनके हर्जे-खर्चे पर हटा दिया जाएगा जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। इसके अतिरिक्त छावनी क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस सूचना को अंतिम नोटिस समझा जाए।

“हर काम देश के नाम”


(अभिमन्यु सिंह)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, वाराणसी।

पत्रांक-बी-2/15/2760
कार्यालय छावनी परिषद,
वाराणसी-221002. 03 अक्टू, 2020.
एन.ओ.ओ.

प्रतिलिपि:-
1. कार्यालय नोटिस बोर्ड
2. कार्यालय वेबसाइट पर